दावा नं. 2012/00011

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

-: सरवरक :-

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

1 नाम अदालत — उपखण्ड अधिकारी(SDO) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा — प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 212 राजस्व

3 अनौवान मुकदमा — श्रीमती देऊ पत्नी स्व. श्री तेली निवासी दांतड़ा बनाम स्व. पिता उदा तेली निवासी दांतड़ा

4 नम्बर व सन् मुकदमा — 78 /2012

तारीख दायरा — 21/8/2012

तारीख फैसला — 22/6/2012

तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

अपील या निगरानी की तारीख फैसला

किस्म मिसल या हिस्सा

किस्म रेकार्ड

(अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

(अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

श्री राकेश कुमार मेहता

श्री सत्येन्द्र पदेत

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम-30)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
केम्प कोर्ट- दांतडा

देउ पुत्री रूपा तेली नि-दांतडा बनाम रूपा पिता उदा तेली नि-दांतडा

किस्म मुकदमा-प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-212 रा0टि0ए0 प्रकरण संख्या-78/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की मौरूसी आराजियात होकर मौरूस हमीरा के समय की है। जिसमें विपक्षी रूपा का 1/4 हिस्सा विपक्षी पेमा का 1/4 हिस्सा विपक्षी 03 से 05 का 1/2 हक हिस्सा है। जिसमें विपक्षी नम्बर-01 रूपा का 1/4 हिस्सा विवादित है। शेष हिस्सा विवादित नहीं है। आराजियात मौरूसी होने से रूपा के 1/4 हिस्से में प्रार्थीया का 1/2 हक हिस्सा है। ओर इसी हक हिस्से से प्रार्थीया व विपक्षी नम्बर-01 सम्मिलित रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। विपक्षी नम्बर-01 अपने खाते के बल पर उक्त आराजियात में से सम्पूर्ण 1/4 आराजी को दीगर को अन्तरित कर बेचान करने पर आमादा है। मना करने पर न मसन लडाई-झगडा करने पर उतारू है। अन्त में कथन किया कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें। मैंने वकील प्रार्थी की बहस को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 मौजा दांतडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर-126, 122, 129, 504, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 2045, 2046 किता-14 रकबा 63 बीघा 13 बिस्वा भूमि उदा, काना पिता हमीरा तेली सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तथा नामानतकरण संख्या-713 दिनांक 19.05.1989 विरासत से रूपा, पेमा पिता उदा, गटदू बेवा उदा, नानू, गोपाल पिता काना, हंजा बेवा काना के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। यहां प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात उनके दादा हमीरा के समय की है जिसमें विपक्षी संख्या-01 रूपा के साथ उनका भी बराबर-बराबर हक हिस्सा निहित है किन्तु वादग्रस्त आराजियात रूपा के अकेले के नाम दर्ज रेकार्ड होने से वह विक्रय करने पर आमादा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या-01 रूपा का कोई जवाब नहीं, कोई काउन्टर क्लेम नहीं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। तदनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या–01 को पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा दांतडा की आराजी नम्बर–122, 126, 128, 504, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 2045, 2046 किता–14 रकबा 63 बीघा 13 बिस्वा भूमि में अपने निहित हक हिस्से की भूमि को विक्रय करने कराने से रूके रहें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट दांतडा में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner